

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल:-पंचायत मुख्यालय चाड़ो की ढाणी

प्रकरण सं:-41/18

क्रमांक:-वाद/2018/1087

दिनांक:-29.5.18

निर्णय

वादी के वादपत्र एवं पटवारी चाड़ो की ढाणी व भू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम सजाड़ा,खारा महेचान,बामणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075,2071-74,2070-73 में खाता संख्या 12,29,128 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सजाड़ा	12	412		
2	खारा महेचान	29	662,664	शंकराराम पुत्र राणाराम	ढलाराम पुत्र राणाराम <u>शेष बद्दुस्तर</u>
3	बामणी	128	31/1		



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांक:-29.5.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1090-1092

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- 2.प्रार्थी श्री ढलाराम पुत्र राणाराम जाति कुम्हार निवासी सजाड़ा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- 3.रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी